रामस्वरूप / मीना

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 1524–दो / 14 जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7-8-14	यह अपील आवेदनपत्र म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 44(2) के अन्तर्गत अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के अपील प्रकरण कमांक 586 / अ–25 / 12–13 में पारित आदेश दिनांक 05.03.14 के विरूध्द प्रस्तुत किया गया है। 2/ मैंने अपीलार्थी के विव्दान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा अधिनस्थ न्यायालय के आदेशों का अवलोकन किया। अपीलार्थी अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम तिलहरी स्थित कृषि भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 0.105 हे. रकबा कम होने तथा घर से दूर होने के कारण अपीलार्थी क0–1 अपीलार्थी क0–2 को रू. 11,00000/– (रू. ग्यारह लाख) में विकय करना चाहता है और ग्राम हिनौतिया स्थित भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 0.870 हे. भूमि खरीदना चाहता है। अतः अपीलार्थी ने भूमि विकय की अनुमति हेतु आवेदन संहिता की धारा 165(6) के अन्तर्गत कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे कलेक्टर ने खारिज किया है और अपील अपर आयुक्त व्दारा खारिज की गयी है। उनका तर्क है	

2

कि अधीनस्थ न्यायालयों ने न्यायिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। अपीलार्थी व्दारा कुल रकबा 0.105 हे. कृषि भूमि विकय कर खेती हेतु 0.870 हे. भूमि कय की जा रही है और उसे भूमि का उचित विकय मूल्य प्राप्त हो रहा है। अपर कलेक्टर ने भूमि विकय का ठोस कारण नहीं होना मानकर आवेदनपत्र खारिज किया है तथा अपर आयुक्त ने अपील में भूमि आवासीय मानकर उसका मूल्य रू. 42,00,000/– मानकर खारिज की गयी है, जबकि अपीलार्थी व्दारा कृषि भूमि विकय की जा रही है और उक्त भूमि के आसपास की भूमियों पर भी कृषि हो रही है। अतः उन्होंने अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

3/ प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी रामस्वरूप ठाकुर आदिवासी होने से उसके व्दारा ग्राम तिलहरी स्थित कृषि भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 0.105 हे. रकबा कम होने तथा घर से दूर होने के कारण अपीलार्थी क0–1 ने रू. 11,00000/– (रू. ग्यारह लाख) में अपीलार्थी क0–2 श्री मीना चौरसिया को विकय की अनुमति हेतु आवेदनपत्र संहिता की धारा 165(6) के अन्तर्गत अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसे अपर कलेक्टर ने विकय किये जाने हेतु ठोस कारण नहीं होना मानकर आदेश दिनांक 15–12–12 व्दारा खारिज किया

है। अपर आयुक्त ने अपील प्रश्नाधीन भूमि आवासीय मानकर उसका मूल्य रू. 42 लाख मानकर खारिज की गयी है। अपीलार्थी क0–1 व्दारा ग्राम तिलहरी स्थित कृषि भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 0.105 हे. विकय कर ग्राम हिनौतिया स्थित भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 0.870 हे. कय करने के आधार पर विकय अनुमति चाही गयी है और विकय का कारण कृषि भूमि कम होना एवं घर से दूर होना दर्शाया है। संहिता की धारा 165(6) के अन्तर्गत भूमि विकय की अनुमति का उद्देश्य आदिवासी को छलकपट एवं षडयंत्रपूर्ण कार्यवाही से बचाना है। अपीलार्थी क0–1 कृषि भूमि रकबा 0.105 हे. विकय कर ग्राम हिनौतिया में कुल रकबा 0.870 हे. भूमि कय करना चाहता है जो भूमि विकय का पर्याप्त आधार है। अपर आयुक्त ने अपील प्रश्नाधीन भूमि का बाजार मूल्य आवासीय आधार पर गाइड लाइन के अनुसार रू. 42 लाख मानकर खारिज की गयी है, जबकि अपीलार्थी क0–1 व्दारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की कृषि भूमि को विकय की अनुमति चाही गयी है और भूमि आवासीय प्रयोजन के लिये परिवर्तित नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है और अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 15–12–12 एवं अपर आयुक्त का

आदेश दिनांक 05-03-14 निरस्त किया जाते हैं। अपीलार्थी क0-1 रामस्वरूप ठाकुर को अपीलार्थी क0-2 श्रीमती मीना चौरसिया को ग्राम तिलहरी स्थित प्रश्नाधीन भूमि कुल रकबा 0.105 हे. विक्रय करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रतिफल का भुगतान अपीलार्थी क0-1 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाय। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजने के पश्चात राजस्व मण्डल का अभिलेख दाखिल अभिलेखागार किया जाय।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 CANCELLED

20 रु. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 CANCELLED

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर केम्प जबलपुर

द्वितीय राजस्व अपील प्रकरण क्र A 1524-II / 2014

श्री पी० के० चौबे
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार रीडर
29 APR 2014
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

362

1. रामस्वरूप ठाकुर
आत्मज स्व. श्री इन्तू लाल ठाकुर,
उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी ग्राम
कजरवारा, लक्ष्मीबाई वार्ड, जबलपुर (म.प्र.)

2. श्रीमति मीना चौरसिया
पत्नि श्री जगदीश प्रसाद चौरसिया,
उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी ग्राम तिलहरी,
तहसील एवं जिला जबलपुर (म.प्र.) -- **अपीलार्थीगण**

आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र.शासन -- **प्रत्यर्थी**

अनावदेक